

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 1/2017

बुनवान

राजस्थान सरकार जयें मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री कृष्णचन्द गुप्ता पुत्र हजारीलाल महाजन (डीलर) ग्राम पंचायत पटना तहसील
अटरू जिला बारां

(अप्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम 1952

उपस्थित :- 1- श्री रूपचन्द सिंघावत अभिभाषक (प्रार्थी)

2- श्री गजेन्द्र पंचौली अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 30.9.2019

प्रार्थी राजस्थान सरकार जयें मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थी कृष्णचन्द गुप्ता (डीलर) ग्राम पंचायत पटना तहसील अटरू जिला बारां पर राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 7437 किलोग्राम गेहूँ गबन किये जाने पर राशि 53622/- रुपये वसूल किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी से उक्त राशि के वसूल किये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां के प्रतिनिधी द्वारा दिनांक 10.9.2003 को नोटिस बाबत वसूली दिया गया। किन्तु अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि 53622/- रुपये जमा नहीं करवाने के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से उक्त बकाया राशि जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के अन्तर्गत वसूली हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, अप्रार्थी से 53622/- रुपये की वसूली हेतु निवेदन किया।

इस पर प्रकरण संख्या 40/2008 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय द्वारा बाकीदार अप्रार्थी के विरुद्ध राशि 53622/- रुपये बकाया होने से बाकीदार अप्रार्थी के विरुद्ध धारा-4 (प्रपत्र 2) में राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1952 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा अप्रार्थी को धारा-6 (प्रपत्र 3) में नोटिस जारी किया कि उसके विरुद्ध एक प्रमाण पत्र राशि 53622/- रुपये काबिल

वसूल होने से धारा-4 राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत इस न्यायालय में विचाराधीन है। यदि आप उक्त राशि 53622/- रुपये बकाया होने के बाबत इन्कार करते हैं तो आप इस नोटिस की तारीख जब आपको मिले, उस तारीख से 30 दिवस के अन्दर बकाया इन्कारी की याचिका मय आवश्यक दस्तावेज के पेश करें, यदि आप उचित कारण बताने से असमर्थ रहे तो आपसे उक्त राशि की वसूली राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट के तहत मूल रकम मय ब्याज 13 प्रतिशत व 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज सहित एक मर्तबा में वसूली जावेगी, जब तक आप रुपये 53622/- रुपये मय ब्याज व कलेक्शन चार्ज सहित जमा नहीं करा देवे, तब तक आपको अपनी चल-अचल सम्पति या उसका भाग बेचान दान अथवा अन्य किसी भी तरीके से खुर्द बुर्द करने अथवा हस्तान्तरित करने से रोका जाता है, यदि इस बीच में या आपको जब से नोटिस मिले तब से बाद में आपने अपनी जायदाद को छीपाने, हटाने व बेचने की कोशिश की तो इस प्रमाण पत्र का तत्काल निष्पादन कर दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। नोटिस के साथ प्रमाण पत्र धारा -4 राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट की प्रतिलिपी भी सूचनार्थ संलग्न की गई है।

अप्रार्थी को उक्त आशय का नोटिस क्रमांक/रीडर/ए.डी.एम. /09/621-622 दिनांक 11.9.2009 को जारी किया गया। जिस पर अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.4.2010 से स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी श्री कृष्णचन्द गुप्ता (डीलर) ग्राम पंचायत पटना तहसील अटरू जिला बारां से राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत उनके द्वारा राशि जमा नहीं किये जाने के उपरान्त राशि 53622/- रुपये पर 13 प्रतिशत ब्याज व 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज सहित वसूल किये जाने हेतु प्रकरण अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां को मूल प्रमाण पत्र धारा-4 राशि 53622/- रुपये वसूली हेतु भिजवाया गया। निर्णय की प्रति जिला राजस्व लेखाकार को भिजवायी गई।

उक्त प्रकरण की अपील अप्रार्थी द्वारा न्यायालय भू-प्रबन्ध की अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय मे करने पर, उनके द्वारा प्रकरण संख्या 115/2010 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 9.6.2010 से प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांत के द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों की विवेचना कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

इस पर प्रकरण पुनः प्रकरण संख्या 4/2011 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। उसके द्वारा जर्जे अभिभाषक उपस्थित दी गई। उक्त प्रकरण मे दिनांक 27.3.2014 को पुनः निर्णय पारित किया गया।

उक्त प्रकरण की अपील अप्रार्थी द्वारा न्यायालय भू-प्रबन्ध की अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में करने पर, उनके द्वारा प्रकरण संख्या 101/2014 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 9.1.2017 से प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि राज्य अन्वेषण ब्यूरो अथवा यदि प्रकरण किसी न्यायालय में लम्बित हो तो संबंधित न्यायालय से अपीलांट की वितरण पंजिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये और यह निर्धारित किया जाये कि अपीलांट के द्वारा जो गेहूँ प्राप्त किया गया था। उसका समुचित वितरण किया गया है अथवा नहीं। यदि मूल पंजिका के मिलाने के बाद कोई राशि वसूली योग्य बनती है तो उसकी विधि सम्मत रूप से वसूली की जावे।

इस पर प्रकरण पुनः प्रकरण संख्या 1/2017 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। उसके द्वारा जर्ज्य अभिभाषक उपस्थित दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा दिनांक 8.10.2009 को जवाब प्रस्तुत किया गया है। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अभिभाषक की बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि निदेशालय सीनीय निधि अंकेक्षण दल द्वारा जांच पश्चात राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 7437 किलोग्राम गेहूँ गबन किये जाने पर राशि 53622/- रूपये अप्रार्थी से वसूल किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों को दौहराते हुये कहा गया कि मेरे पास जो पोषाहार संबंधित रिकार्ड, स्टॉक रजिस्टर व बिक्री रजिस्टर थे, उनको मैंने तहसील कार्यालय अटरू में पोषाहार जांच हेतु जमा करा दिये थे। जिसकी रसीद साथ में संलग्न है। मैंने पोषाहार नियमानुसार छात्र छात्राओं में वितरण कर दिया था, वितरण करने का प्रमाण पत्र साथ में संलग्न है। मैंने पोषाहार के कूपन संभाल कर नहीं रखे, क्योंकि कूपनों के बारे में न तो तहसील कार्यालय से कोई आदेश दिया गया था और न ही पंचायत समिति अटरू द्वारा कोई आदेश दिया गया था।

विशेष जांच पोषाहार जिला परिषद बारों में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर को पोषाहार वितरण रजिस्टर की जांच हेतु जिला रदस अधिकारी से आवेदन करके पोषाहार विरण रजिस्टर की जांच निधि व अंकेक्षण विभाग जयपुर से स्कूलों से प्राप्त कूपनों की ऑफिस कापी से की, जिसमें वितरण सही माना गया, अभी वर्तमान में मूल वितरण पंजिका राज्य अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा जप्त कर ली गई। अन्तिम रूप से वसूली योग्य गेहूँ व राशि का निर्धारण वितरण पंजिका की जांच उपरांत ही किया जा सकता है। तब तक वसूली योग्य राशि यथावत रहेगी एवं प्रमाण पत्र विकास अधिकारी अटरू द्वारा भी जारी कर रखा है। पोषाहार खाद्यान का कोई गेहूँ बकाया नहीं है। अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

मेरे द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अभिभाषक की उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण इस निर्देश के साथ अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाराँ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थी के कथनों की स्टॉक रजिस्टर, वितरण पंजिका एवं कूपनो से जाँच की जावे। यदि अप्रार्थी पर आरोप सिद्ध होते हैं तो शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/ 9(4)राज-6/2005/20 जयपुर दिनांक 8.8.2005 में उल्लेख किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय 10 तथा राजस्थान भू-राजस्व (भुगतान, जमा, वापसी एवं वसूली) नियम 1958 के अधीन जिला कलक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालना तथा उसकी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग जिला परिषदों में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उनकी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत बकाया राशि वसूली हेतु किया जावेगा। जिसके अनुसार नियमानुसार अप्रार्थी से राशि वसूल की जावे। निर्णय की प्रति सत्यप्रतिलिपी अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाराँ को राशि वसूली हेतु भिजवाते हुये प्रति प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखाकार जिला कार्यालय बाराँ को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.9.2019 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर, बाराँ

